न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –39/2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/128

1. रामकरण आत्मज नन्दलाल जाति धाकड मृतक जर्ये कायम मुकामान
   1/1 मुकेश आत्मज रामकरण
   1/2 नरेश आत्मज रामकरण
   1/3 अरविन्द आत्मज रामकरण
   1/4 शालू पुत्री रामकरण
   1/5 भूली पत्नी रामकरण
2. राधेश्याम आत्मज नन्दलाल जाति धाकड
3. धनपाल आत्मज नन्दलाल जाति धाकड
4. रमेश चन्द आत्मज नन्दलाल धाकड़
   निवासीगण सुनारों की धर्मशाला के सामने कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या –839 दिनांक 21.06.1981 ग्राम कैथून न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 05.08.2024

1 अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कैथून में खातेदार प्रताप आत्मज घांसी धाकड फोत होने पर खातेदार के नाम खाता संख्या 217 की दर्ज भूमि का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फोती नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 21.06.1981 को उनके विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया ।

2 तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तरकरण आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.07.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के पेश की है कि प्रताप जी आत्मज घांसी जी का एक मात्र पुत्र अपीलान्ट के पिता एंव दादा नन्दलाल आत्मज प्रताप जी थे जिनका दिनांक 5.3.79 को स्वर्गवास हो गया और बाद में अपीलान्ट के दादा एवं परदादा प्रताप का स्वर्गवास हुआ अर्थात अपीलान्ट के पिता एवं दादा नन्दलाल जी का स्वर्गवास प्रताप जी के जीवनकाल में ही हो गया, जिनके अपीलान्टगण वारिस एवं उत्तराधिकारी है । नन्दलाल जी के स्वर्गवास के बाद नन्दलाल जी के पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप का स्वर्गवास हुआ है । प्रताप जी के स्वर्गवास बाद उनके अपीलान्ट पोत्र होने पर इंतकाल के लिये आवेदन किया जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के पिता नन्दलाल के स्थान पर प्रताप जी दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4 वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है प्रताप जी आत्मज घांसी जी का एक मात्र पुत्र अपीलान्ट के पिता एंव दादा नन्दलाल आत्मज प्रताप जी थे जिनका दिनांक 5.3.79 को स्वर्गवास हो गया और बाद में अपीलान्ट के दादा एवं परदादा प्रताप का स्वर्गवास हुआ अर्थात अपीलान्ट के पिता एवं दादा नन्दलाल जी का स्वर्गवास प्रताप जी के जीवनकाल में ही हो गया जिनके अपीलान्टगण वारिस एवं उत्तराधिकारी है । नन्दलाल जी के स्वर्गवास के बाद नन्दलाल जी के पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप का स्वर्गवास हुआ है । प्रताप जी के स्वर्गवास बाद उनके अपीलान्टगण पोत्र होने पर इंतकाल के लिये आवेदन किया जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के पिता नन्दलाल के स्थान पर प्रताप जी दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । प्रताप जी अपीलान्ट के दादाजी है न कि पिता अपीलान्ट के पिता नन्दलाल जी है साथ ही उक्त इंतकाल में अपीलान्ट की माता सीता के स्थान पर छीता बाई दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा अपीलांट के भाई धनपाल के स्थान पर घनश्याम रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है जिसे दुस्रूत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । उक्त त्रुटि सद्भाविक एवं क्षम्य है जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रकरण संख्या 114/2019 के अन्तर्गत धारा 136 एल आरएक्ट का प्रस्तुत किंया किन्तु इंतकाल में त्रुटि होने के कारण प्रकरण खारिज कर दिया जिससे कानूनी राय लेकर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नम्बर 839 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक प्रताप जी के विधिक वारिसान की जांच कर सही फोती इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रताप जी के सभी विधिक वारिसान को सुना जाना आवश्यक है । अतः सभी वारिसान को सुना जाकर जांच कर आवश्यक होने पर ही अपील में चाहा गया अनुतोष अनुसार नाम एवं वल्दियत दुरूस्त किया जा सकता है ।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 839 दिनांक 21.06.1981 के विरूद्व दिनांक 16.07.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7 वकील अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में खातेदार प्रताप के फोत होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, प्रताप के एक ही पुत्र नन्दलाल थे जो अपीलांट के दादा प्रताप के पूर्व ही फोत हो चुके थे, बाद में दादा प्रताप जी फोत होने पर उनका फोती नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान राधेश्याम, धनपाल, रमेशचन्द व शान्ती पुत्री प्रताप व मु0 छीताबाई बेवा प्रताप के नाम स्वीकृत किया गया है । वकील अपीलांटगण के कथनानुसार स्वीकृत नामान्तकरण में अपीलांटगण के पिता नन्दलाल होने से वल्दीयत में प्रताप के स्थान पर नन्दलाल दर्ज होना चाहिए था साथ ही आगे यह भी कथन किया है कि अपीलांट की माता सीताबाई का नाम भी छीताबाई दर्ज कर दिया गया जो भी गलत होने से सीताबाई होना चाहिए । आगे यह भी कथन किया है कि धनपाल के स्थान पर घनश्याम रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण बताया है किन्तु नामान्तरकरण में तो धनपाल ही अंकित किया हुआ है जिसका जमाबंदी में अमल करने पर घनश्याम दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त योग्य है । वकील अपीलांट द्वारा धनपाल एवं सीताबाई के नाम की दुरूस्ती के सम्बन्ध में दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड धनपाल की सेकण्डरी की अंक तालिका एवं नगर पालिका कैथून का प्रमाण पत्र दिनांक 29.6.2015 प्रस्तुत किये है जिनमें अपीलांटगण की पिता पति का नाम नन्दलाल जाति धाकड होना अंकित है, अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलांटगण की वल्दियत एवं नामों की जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 21.6.1981 में प्रताप जी के वारिसान की वल्दियत की एवं वारिसान के नामों की जांच कर दुरूस्त करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तरकरण का शेष भाग यथावत रहेगा ।

9 निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा